

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा०सं० 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21) /2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त आरक्षित/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी 9(3) ग (गौचर) एवं श्रेणी 9(3) क फौ०पं० में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

